

{भारत के राजपत्र, भाग I, खण्ड (II), में प्रकाशनार्थ}
सं. आई-14011/13/2019-आईपीएस-1(II)

भारत सरकार
गृह मंत्रालय

24 SEP 2019
नई दिल्ली, दिनांक सितम्बर, 2019

अधिसूचना

राष्ट्रपति, भारतीय पुलिस सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1955 के विनियम 9 के उप-विनियम (1) के साथ पठित भारतीय पुलिस सेवा (भर्ती) विनियम, 1954 के विनियम 9 के उप-विनियम (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उत्तराखण्ड पुलिस सेवा के निम्नलिखित सदस्यों को भारतीय पुलिस सेवा में परिवीक्षा पर नियुक्त करते हैं तथा उन्हें भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग) विनियम, 1954 के विनियम 5 के उप-विनियम (1) के अन्तर्गत उत्तराखण्ड संवर्ग प्रदान करते हैं :-

चयन सूची-2018

क्रम सं.	अधिकारियों के नाम (सर्व/श्री)	जन्म तिथि
1.	नवनीत सिंह	17.01.1980
2.	मणिकान्त मिश्रा	01.07.1976

2. उपरोक्त अधिकारी भारतीय पुलिस सेवा (परिवीक्षा) विनियम, 1954, के तहत एक वर्ष के लिये परिवीक्षा पर रहेंगे और भारतीय पुलिस सेवा (परिवीक्षा) विनियम, 1954 के नियम 5 (4) में संशोधन दिनांक 10.05.2011 के तहत अधिकारियों को इंडक्शन प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा।

3. यह नियुक्तियाँ अधिसूचना के जारी होने की तिथि से प्रभावी होंगी।



(रवि निर्मल)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष: 2309 4517

सेवा में,
प्रबंधक,
भारत सरकार मुद्रणालय,
मिन्टो रोड,
नई दिल्ली .22।

24 SEP 2019

सं. आई-14011/13/2019-आईपीएस-1(II) नईदिल्ली,

दिनांक सितम्बर, 2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को प्रेषित:

- मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड सरकार, देहरादून { ध्यानार्थ : श्री नितेश कुमार झा, सचिव, (गृह) } को संबंधित अधिकारियों हेतु 2 अतिरिक्त प्रतियों सहित।
- सचिव, संघ लोक सेवा आयोग (ध्यानार्थ: श्री एन के कुमार, अवर सचिव, ए.आई.एस), धौलपुर हाऊस, नई दिल्ली।
- महालेखापाल, उत्तराखण्ड सरकार, देहरादून।
- पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- निदेशक, सरदार बल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, हैदराबाद- 500 052।
- आई.पी.एस. II, III, IV / आई.पी.एस.-ए.सी.आर. सेल/सिविल लिस्ट सीट।
- अनुभाग अधिकारी (आई.टी.) प्रकोष्ठ, उपयुक्त अधिसूचना गृह मंत्रालय की (वेबसाइट > आईपीएस कैडर मैनेजमेन्ट > नियुक्ति एसपीएस से आईपीएस > नियुक्ति) में प्रकाशित करने हेतु।



(रवि निर्मल)
अवर सचिव, भारत सरकार